भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5904
उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

अपर्यवेक्षित डिजिटल और सोशल मीडिया उपयोग का विनियमन

†5904. **श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के स्कूलों की राष्ट्रीय परिषद की प्रश्नावली का उत्तर देने वाले 88 प्रतिशत स्कूल लीडरों, शिक्षाविदों और अभिभावकों ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच अपर्यवेक्षित डिजिटल और सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश लागू करने के लिए अत्यधिक समर्थन व्यक्त किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का स्कूली छात्रों के लिए एक संरचित, आयोन्मुखी विनियामक ढांचा तैयार करने पर विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राष्ट्रीय परिषद को अपनी राज्य परिषदों के माध्यम से प्राप्त 6.3 लाख प्रतिक्रियाओं पर आधारित फीडबैक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त प्रतिक्रियाओं पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा मंत्रालय ने अपने घटक निकायों और संबद्ध संगठनों के माध्यम से स्क्रीन टाइम प्रबंधन का समाधान करने के लिए व्यापक उपाए किए हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 जुलाई, 2020 को प्रज्ञाता दिशानिर्देश पेश किए, जिनका उद्देश्य उम्र के अनुसार स्क्रीन टाइम सीमा की सिफारिश करके छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण सुनिश्चित करना है। प्री-प्राइमरी छात्रों के लिए, मुख्य रूप से माता- पिता के साथ बातचीत हेतु स्क्रीन का समय प्रतिदिन 30 मिनट तक सीमित है। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रतिदिन 30-45 मिनट के दो से अधिक

ऑनलाइन सत्र नहीं रखने की सलाह दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 30-45 मिनट के चार सत्रों तक की सिफारिश की गई है। ये दिशानिर्देश बच्चों के शारीरिक और मानसिक कल्याण की निगरानी में माता-पिता की भागीदारी के महत्व, इंटरनेट उपयोग के बारे में सीधे संवाद को बढ़ावा देने और ऑनलाइन गतिविधियों को ऑफ़लाइन खेल और शारीरिक व्यायाम के साथ संतुलित करने पर बल देते हैं।

सीबीएसई ने राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड के रूप में अपने दायित्व के अंतर्गत, स्कूली छात्रों के बीच डिजिटल और सोशल मीडिया के सुरक्षित, संतुलित और आयु-उपयुक्त उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से डिजिटल माध्यमों के अत्यधिक उपयोग से संबंधित चिंताओं को देखते हुए, दिशा-निर्देश और सलाह जारी की हैं तथा कई सक्रिय पहल की हैं । ये उपाय छात्रों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण का समाधान करते हैं और हितधारकों की प्रतिक्रिया तथा उनकी बदलती आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रमुख पहलों में प्रज्ञाता दिशा-निर्देश (2020) का कार्यान्वयन शामिल है।

सीबीएसई ने समय-समय पर विद्यालय परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग को विनियमित करने और अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश और सलाह जारी की हैं (परिपत्र 02/2009), इसके साथ ही, स्कूलों को साइबरबुलिंग, ऑनलाइन जोखिमों और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक करने के लिए डिजिटल सुरक्षा और साइबर स्वच्छता पर भी परिपत्र जारी किए गए हैं (परिपत्र संख्या अकादमिक-32/2017)। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के सहयोग से, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए साइबर सुरक्षा पुस्तिका (2020) प्रसारित की गई है, जिसमें डिजिटल शिष्टाचार, ऑनलाइन सुरक्षा और कल्याण को शामिल किया गया है। इसके अलावा, सीडीएसी (परिपत्र संख्या प्रशिक्षण-51/2024) के सहयोग सहित शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण साइबर कल्याण और प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग पर केंद्रित हैं।

इसके अतिरिक्त, जागरूकता पहलें जैसे साइबर जागरूकता दिवस, विद्यालयों में साइबर क्लबों की स्थापना और डिजिटल शिष्टाचार दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन जिम्मेदार डिजिटल आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। सामाजिक मेलजोल और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी निरंतर जोर दिया जा रहा है। ये सभी प्रयास सामूहिक रूप से स्कूली छात्रों के बीच डिजिटल उपयोग के लिए एक संरचित और आयु-अनुकूल दृष्टिकोण विकसित करने में योगदान करते हैं।
